राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 27 मार्च, 1990 को प्रातः 11.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा-जयपुर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत:

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1. डा. के. एन. नाग (अध्यक्ष)
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सी. एस. राजन
4. श्री वी. एस. सिंह (पशु पालन सचिव के प्रतिनिधि)
5. श्री एम. एल. शर्मा (शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि)
6. डा. ओ. एस. राठौड़
7. डा. एस. एन. सक्सैना
8. डा. एस. एस. आचार्य
9. श्री युसूफ अली
10. श्री राजन सुद्रेशन
11. डा. के. पी. पंत
12. डा. जी. एस. शेखावत
13. डा. आचार्य हरेश सी. सांवरिया
14. श्री राम गोपाल चौधरी
15. डा. बी. बी. लाल
16. श्री खुशहाल सिंह (सदस्य सचिव)

<u>आमंत्रित सदस्य</u>

श्री बी. एस. उज्वल

कुलपति द्वारा डा. बी. बी. लाल के प्रथम बैठक में भाग लेने पर उनका स्वागत किया और उनके द्वारा मंडल की बैठकों में सक्रिय योगदान की आशा व्यक्त की ।

रा.कृ.वि./प्र.मं.-16/218. 90-2/218. प्रबन्ध मंडल की गत बैठक दिनांक 12.2.90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की जाय :

अ) मद संख्या 201 तदर्थ/अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे उन सभी कर्मचारियों को जो दिनांक 12.2.90 के पूर्व कार्यरत थे, यदि विश्वविद्यालय प्रशासन कार्य हित में चाहे उनकी सेवा अवधि जब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि वैधानिक चयन समितियों द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाते ।

आ). जिन नई नियुक्तियों हेतु 12.2.90 के पूर्व साक्षात्कार हो गये हैं उन पर 12.2.90 के पूर्व विद्यमान व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति दे दी जावें ।

ई). शैक्षणोत्तर रिक्त पदों पर, सामान्य नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जाये रिक्त पदों के लिये राजस्थान के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर चयन की प्रक्रिया की जाती रहे ।

§।।§ जिन पदों हेतु 12.2.90 को प्रबन्ध मंडल की बैठक के पश्चात नियमित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, उनके संबंध में नियुक्तियां विज्ञापित पदों की संख्या तक कर ली जावें ।

ई§।§ वरिष्ठ तकनीकि सहायक तथा प्राध्यापक की एक वर्ष की अवधि तक के लिए तदर्थ नियुक्ति हेतु योग्यता क्रम बनाने की वही प्रक्रिया अपनाई जाये जो निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रवक्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति देने के लिये अपनाई जाती है ।

§।।§ इन पदों के लिये राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जावे ।

§उ§ रिक्त शैक्षणिक पदों के कार्य सम्पादन के लिये वरिष्ठ तकनीकि सहायकों को नहीं लगाये जाये बल्कि उपयुक्त §ई§ में दी गई प्रक्रिया से ऐसे कार्यों के सम्पादन के लिये प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जाये । प्राध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों में अनुभवी प्रत्याशी नहीं मिलने पर शिक्षण अनुभव की शर्त में शिथिलता बरती जा सकेगी ।

§ऊ§ शैक्षणिक पदों पर निर्धारित चयन के बारे में प्रबन्ध मंडल की 12.2.90 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण तथा उसमें अन्य परिस्थितियों पर विस्तार से विचार कर तय किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के लिये 15 अप्रैल, 1990 तक अध्यादेश जारी करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जाय और अध्यादेश जारी होने तक नियमित चयन नहीं किये जाये ।
- कृषि उत्पादन सचिव ने स्पष्ट किया कि वह विदेश से सम्भवतः 13, 14 अप्रैल, 1990 को लौटेंगे, पर पूरे प्रयत्न करेंगे कि अध्यादेश 15.4.90 तक या उसके आस-पास ही जारी हो जावे । उन्होंने इस बारे में जारी राज्यादेश इस निर्णय के कारण निरर्थक होने से वापस लेने का विचार भी व्यक्त किया ।

राकृवि/प्रबं-16/ 90-2/219. 219. कार्यवृत की क्रियान्वित पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय :

अ§. कार्यालय आदेश 14.3.90 को अप्रभावी माना जाय ।

आ§. केरीयर एडवान्समेंट योजना को क्रियान्वित करने पर मत रहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त दावा भेज दिया जावे और योजना लागू किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाय । निर्णय लिया गया कि योजना को क्रियान्वित राज्य सरकार के आदेशानुसार ही की जाय ।

ड़} चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान किये जाने पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिखे पत्र में वांछित सूचना प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा ।

राकृवि/प्रबो-16/90-2/220 220. बजट 1990-91 पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बजट को निम्न संशोधन के साथ पारित किया जाय वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.3.90 के कार्यवृत के अंतर्गत कृषि फार्मों {व्यावसायिक} उत्पादकता एवं उपादेयता का परीक्षण करने हेतु एक निम्न समिति का गठन किया गया :

1. डा. एस. एन. सक्सैना -निदेशक, कृषि अनुसंधान - अध्यक्ष
2. निदेशक, कृषि विभाग या उनका प्रतिनिधि
3. डा. के. एस. नाथावत - सीड कोर्डिनेटर - संयोजक
4. डा. जी. एस. शेखावत - सदस्य प्रबन्ध बोर्ड
5. श्री राम गोपाल चौधरी - सदस्य प्रबन्ध बोर्ड
6. डा. एस. एस. आचार्य - आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र

ब} बजट पर विचार विमर्श के दौरान यह निर्णित किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाने वाली राशि पिछले पांच वर्षों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करवा कर राज्य सरकार को भी प्रेषित करें । ब्योरे का परीक्षण हेतु एक निम्न समिति गठन किया गया जो अपना प्रतिवेदन बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करे । यह भी मत रहा कि इस समिति की बैठक जयपुर में ही आयोजित हो तो ज्यादा सुविधाजनक होगी । समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :

1. निदेशक कृषि
2. डा. जी. एस. शेखावत
3. डा. एस. एस. आचार्य
4. डा. आचार्य हरेश सी. सांवरिया
5. श्री बी. एल. उज्जवल - संयोजक

राकृवि/प्रबो-16/90-2/221 221. प्रबन्ध बोर्ड की स्थापना समिति की बैठक दिनांक 8.3.90 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

"अधिष्ठाताओं/निदेशकों की नियुक्ति डा. जी. वी. के. राव समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियां खुले विज्ञापन द्वारा की जाय । यह भी मत रहा कि अधिष्ठाताओं/निदेशकों की नियुक्तियों की आयु सीमा 45 से 55 वर्ष रखी जावें " ।